रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 1997/माघ 17, 1918
No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 1997/MAGHA 17, 1918

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नइ दिल्ली, 6 फरवरी, 1997

का. आ. 88 (अ)—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में झींगापालन उद्योग से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए जलकृषि प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(1) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश) अध्यक्ष

(2) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला जलकृषि के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) सदस्य

(3) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) सदस्य

(4) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) सदस्य

(5) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि) सदस्य

(6) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि) सदस्य

(7) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि) सदस्य

(8) ....

(केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला) सदस्य-सचिव

प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्—

(i) पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 की धरा 5 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v),(vi),(vii),(viii),(ix)और (xii) में निर्दिष्ट मामलों की बाबत अध्युपाय करने और निदेश जारी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना,

(ii) तटीय विनियमन जोन अधिसूचना सं.का.आ.114(अ), तारीख 19-2-91 के अनुसार संबंधित तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए तटीय जोन प्रबन्ध रेखांकों में अभ्यंकित तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और चिलका झील तथा पुलिकेट झील के संबंध में 1000 मीटर तक परम्परागत तथा परम्परागत प्रकार की उन्नत प्रोद्यौगिकियों (अल्गारस्वामी की रिपोर्ट में परिभाषित), जो निम्नस्थ तटीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है, के सिवाए 31 मार्च, 1997 तक सभी विद्यमान जलकृषि क्रियाकलापों को बन्द करने, तोड़ डालने तथा हटाने के लिए कदम उठाना और उन्हें सुनिश्चित करना,

(iii) यह सुनिश्चित करना कि तटीय विनियमन जोन और चिल्का झील तथा पुलिकेट झील (पक्षी अभ्यारर्णय अर्थात यदुरापट्टू और नेलापट्टू सहित) के 1000 मीटर तक कोई झींगापालन तालाब निर्मित या स्थापित नहीं किया जाए,

(iv) यह सुनिश्चित करना और उन कृषकों को अनुमोदन देना जो वर्द्धित उत्पादन के लिए उन्नत प्रोद्यौगिकी के अपनाए जाने के लिए जलकृषि की पारंपरिक और उन्नत पारंपरिक प्रणालियों का प्रचालन कर रहे हैं;

(v) यह सुनिश्चिन करना कि कृषि भूमि, नमक क्यारी भूमि, कच्छ वनस्पति, गीली भूमि, वन भूमि, ग्राम के सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग झींगापालन तालाबों के लिए नहीं किया जाएगा अथवा उनके सन्निर्माण के लिए उन्हें संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा;

(vi) 1994 की रिट याचिका (सी.) सं. 561 में पारित उच्चतम न्यायालय के ता. 11-12-1996 के आदेश में वर्णित प्रक्रिया को अंगीकार करते हुए प्राधिकरण एहतियाती सिद्धान्त और "प्रदूषक संदाय कर सिद्धान्त" को क्रियान्वित करेगा;

(vii) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्र के बाहर और पुलिकेट झील तथा चिल्का झील से 1000 मीटर की दूरी पर झींगा पालन क्रियाकलाप को विनियमित करेगा और 30 अप्रैल, 1997 तक आवश्यक अनुमोदन प्राधिकार भी देगा;

(viii) प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली, सम्बद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसे विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से, तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रदूषण से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की हुई क्षति की पुर्ति करने के लिए स्कीम/ स्कीमों को विरचित करेगा।

(ix) प्राधिकरण, 1994 की रिट याचिका (सी) सं. 561 में, 11-12-1996 को पारित उच्चतम न्यायालय के आदेश में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार झींगापालन उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को प्रतिकर संदाय सुनिश्चित करेगा;

(x) सम्बद्ध उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुसंगत आदेशों का अनुपालन करना;

(xi) झींगा पालन खेती के प्रति निर्देश, से तटीयों क्षेत्रों से संबंधित किन्हीं अन्य सुसंगत पर्यावरणीय मामलों से निपटना, जिनमें केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मामले भी सम्मिलित है।

3 प्राधिकरण की अधिकारिता सभी तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर होगी।

4 तटीय राज्यों और संघ राजयक्षेत्रों में प्रदूषण से हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित स्कीम/स्कीमों को, केंद्रीय सरकार के पर्यावेक्षण के अधीन सम्बद्ध राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

5 प्राधिकरण, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

6 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

[फा. सं एल. 11011(12) 94-आईए-III]

आर. एच. ख्वाजा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1997

S.O. 88 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitute an authority known as Aquaculture Authority to deal with the situation created by the shrimp culture industry in the coastal States and Union Territories consisting of the following members for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

(1) .... —Chairperson
(A retired Judge of High Court, to be appointed by the Central Government)

(2) .... —Member
(An expert in the field of aquaculture, to be appointed by the Central Government)

(3) ....
(An expert in the field of pollution control, to be appointed by the Central Government) —Member

(4) ....
(An expert in the field of environment protection, to be appointed by the Central Government) —Member

(5) ....
(A representative of the Ministry of Environmet and Forests, to be appointed by the Central Government) —Member

(6) ....
(A representative of the Minstry of Agriculture, to be appointed by the Central Government) —Member

(7) ....
(A representative of the Ministry of Commerce, to be appointed by the Central Government) —Member

(8) ....
(To be appointed by the Central Government) —Member Secretary

2. The Authority shall excercise the following powers and perform the following functions, namely :—

(i) exercise of powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for issuing directions and for taking measures with respect to matters referred to in clauses (v), (vi), (vii), (viii), (ix) and (xii) of sub-section (2) of section 3 of the said Act;

(ii) to take steps and ensure the closure, demolition and removal of all the existing aquaculture activities by the 31st March, 1997 from the Coastal Regulation Zone areas as demarcated in the Coastal Zone Management Plans prepared in accordance with the Coastal Regulation Zone Notification No. S.O. 114 (E) dated the 19th February, 1991, by the concerned coastal States and Union Territories and upto 1000 m in respect of Chilka lake and Pulicat lake, except the traditional and improved traditional types of technologies (as defined in Algarswami report) which are practised in the coastal low lying areas;

(iii) to ensure that no shrimp culture pond can be constructed or setup within the Coastal Regulation Zone and upto 1000 m of Chilka lake and Pulicat lake (including bird sanctuaries namely, Yadurapattu and Nelapattu) ;

(iv) to ensure and give approval to the farmers who are operating traditional and improved traditional systems of aquaculture for adoption of improved technology for increased production;

(v) to ensure that the agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wetlands, forest lands, land for village common purposes and the land meant for public purposes shall not be used or converted for construction of shrimp culture ponds;

(vi) the Authority shall implement the "Precautionary Principle" and the "Polluter Pays Principle", by adopting the procedure described in the Supreme Court order dated 11-12-1996 passed in the Writ Petition (Civil) No. 561 of 1994;

(vii) the Authority shall also regulate the shrimp culture activities outside the Coastal Regulation Zone areas and beyond 1000 m from the Pulicat lake and Chilka lake and also give the necessary approvals/authorisation by the 30th April, 1997;

(viii) the Authority in consultation with expert bodies like National Environmental Engineering Reseasrch Institute, Central Pollution Control Board, respective State Pollution Control Boards shall frame Scheme/Schemes for reversing the damage caused to the ecology and environment by pollution in the coastal States and Union Territories;

(ix) the Authority shall ensure the payment of compensation to the workmen employed in the shrimp culture industries as per the procedure laid down in the Supreme Court Order dated 11-12-96 passed in the Writ Petition (Civil) No. 561 of 1994;

(x) to comply with the relevant orders issued by the concerned High Courts and Supreme Court from time to time;

(xi) to deal with any other relevant environment issues pertaining to coastal areas with respect to shrimp culture farming, including those which may be referred to it by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

3. The jurisdiction of the Authority shall cover all the coastal States and Union territories;

4. The Scheme/Schemes framed by the Authority for reversing the damage caused due to the pollution in the coastal States and Union Territories shall be executed by the respective State Governments and Union Territory Administrations under the supervision of the Central Government.

5. The Authority shall function under the administrative control of Government of India in the Ministry of Agriculture, with its headquarters at Delhi.

6. The terms and conditions of appointment of the Chairperson and Members shall be as determined by the Central Government from time to time.

[F. No. L-11011/12/94-IA-III]

R. H. KHWAJA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997